उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 21 | 1-15 नवंबर 2025 | ₹ 20/-

बिहार चुनाव में उर्दू मीडिया का भाजपा विरोधी अभियान धराशायी

- दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा खून की होली
- शेख हसीना को मौत की सजा
- सुरक्षा परिषद में गाजा शांति योजना पर अमेरिकी प्रस्ताव मंजूर
- राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विवाद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में उर्दू मीडिया का भाजपा विरोधी अभियान धराशायी 04
दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा खून की होली 09
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विवाद 14
तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश 18
पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल 20

विश्व

शेख हसीना को मौत की सजा 22
कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल 23
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता विफल 25
अमेरिकी चुनावों में भारतीय मूल के दो मुस्लिम नेताओं की शानदार जीत 27
इंडोनेशिया की मस्जिद में धमाका 30

पश्चिम एशिया

सुरक्षा परिषद में गाजा शांति योजना पर अमेरिकी प्रस्ताव मंजूर 31
सीरिया द्वारा आईएसआईएस विरोधी गठबंधन में शामिल होने का फैसला 33
सूडान में युद्धविराम पर सहमति 35
इजरायली नागरिकों पर हमला करने वालों को मौत की सजा 36
तंजानिया में चुनाव बाद हुई हिंसा में 700 लोगों की मौत 37

सारांश

उर्दू अखबारों ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ जो अभियान चलाया था वह बुरी तरह विफल हो गया है। पिछले दो महीने से देश के लगभग सभी उर्दू अखबार मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि वे भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें। हालांकि, मुस्लिम वोट विभाजित हुए और इसका लाभ एनडीए को हुआ। एनडीए ने 202 सीटों पर शानदार सफलता प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों और यादवों के एक वर्ग ने भी एनडीए का समर्थन किया है। उर्दू मीडिया के इस अभियान का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 19 से घटकर 11 रह गई है। असदुद्दीन ओवेसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) इस बार भी सीमांचल क्षेत्र में अपना रंग जमाने में सफल रही है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित उसकी सहयोगी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आतंकवादियों की गतिविधियों में कमी आई थी। इससे पाकिस्तान बौखला गया। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने एक बार फिर से भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का प्रयास किया है। इस बार आतंकवादियों में उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर और मस्जिदों के इमाम भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ये आतंकवादी भारतीय नागरिक हैं। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े उच्च शिक्षा प्राप्त आतंकवादियों ने देशव्यापी आतंकवाद की ज्वाला भड़काने की साजिश रची थी। गुप्तचर सूत्रों ने इस गिरोह का पता लगाकर इससे जुड़े दो दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 2900 किलोग्राम से अधिक का विस्फोटक भी बरामद किया। इस गिरोह का केंद्र फरीदाबाद स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल-फलाह है। इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह के मास्टरमाइंड डॉ. उमर नबी ने अपनी गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए आत्मघाती कदम उठाया। उसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर विस्फोटक से भरी एक कार में धमाका कर दिया। इस धमाके में 15 निर्दोष लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इस गिरोह के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए थे। उमर नबी और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तान, तुर्किए और बांग्लादेश का दौरा करके आईएसआई से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त किया था।

उत्तरी अफ्रीकी इस्लामिक देश सूडान में दो सालों के भीषण गृहयुद्ध के बाद अमेरिका के प्रयास से युद्धविराम की संभावना बढ़ गई है। सत्ता के लिए सरकारी सेना (एसएएफ) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच खूनी संघर्ष जारी था। इस संघर्ष में 40 हजार से अधिक लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। समाचारपत्रों का आरोप है कि इन दोनों गुटों को आपस में लड़ाने में विदेशी ताकतों का हाथ है। सूडान में सोने की खदाने आरएसएफ के नियंत्रण में हैं। इस सोने के बल पर आरएसएफ विदेशों से भाड़े के सैनिक और हथियार प्राप्त करता रहा है। जबकि एसएएफ को मिस्र और तुर्किए का समर्थन प्राप्त है।

बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा देने की घोषणा की है। आईसीटी ने हसीना पर आरोप लगाया गया है कि उनके आदेश पर सेना ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से मांग की है कि वह शेख हसीना को उसके हवाले कर दे ताकि उन्हें मौत की सजा दी जा सके।

बिहार चुनाव में उर्दू मीडिया का भाजपा विरोधी अभियान धराशायी

उर्दू मीडिया पिछले दो महीने से मुस्लिम मतदाताओं से लगातार अपील कर रहा था कि वे बिहार विधानसभा के चुनाव में एकजुट होकर विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें और उसे जीत दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दें। इस चुनाव में एनडीए की शानदार सफलता से उनका यह अभियान धराशायी हो गया है। उर्दू मीडिया ने इसी तरह का अभियान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी चलाया था। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 19 से घटकर 11 रह गई है।

इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि जनता दल (यूनाइटेड) को 85 सीटों पर सफलता मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 19 सीटों पर सफलता मिली है। वहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने भी पांच सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि एनडीए के एक अन्य सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी चार सीटें मिली हैं। विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं। वहीं, कांग्रेस ने छह, सीपीआई (एमएल) ने दो और सीपीआईएम ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। जबकि एआईएमआईएम ने सीमांचल की पांच सीटों पर जीत दर्ज की है।

इंकलाब (15 नवंबर) के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबर्दस्त जीत के बावजूद एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में उसके पांच विधायक जीते हैं। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम को इसी क्षेत्र से पांच सीटों पर सफलता मिली थी। बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईम के तौसीफ आलम ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद मसावर आलम को 28,726 वोटों से हराया है। जबकि एलजेपी (आर) के प्रत्याशी मोहम्मद कलीमुद्दीन तीसरे स्थान पर रहे। जोकीहाट सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद मुर्शीद

उम्मीदवार को अपना टिकट क्यों नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि हम जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देते हैं। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि एनडीए के अन्य घटक दलों ने पांच मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए छह सीटों की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया था। जब आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा गया कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में चरमपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। जबकि कांग्रेस ने 10, जेडीयू ने चार और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था।

आलम ने जेडीयू प्रत्याशी मंजर आलम को 28,803 वोटों से पराजित किया। इस सीट पर जन सुराज पार्टी के सरफराज आलम तीसरे स्थान पर रहे। कोचाधामन सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद सरवर आलम ने जीत दर्ज की है। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से हराया है। मुजाहिद आलम हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। अमौर सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के सबा जफर को 38,928 वोटों से पराजित किया। इस सीट पर कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान तीसरे स्थान पर रहे। बैसी सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर ने भाजपा के विनोद कुमार को 27,251 वोटों से पराजित किया। जबकि आरजेडी के अब्दुस सुभान तीसरे स्थान पर रहे।

उल्लेखनीय है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। जबकि 2015 में 24, 2010 में 19 और 2005 में 16 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 25 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 23 मुसलमान थे। भाजपा ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। जब एक पत्रकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि भाजपा ने किसी भी मुस्लिम

खास बात यह है कि सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुचर्चित बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने जीत दर्ज की है। उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों से हराया है। ढाका सीट से आरजेडी के प्रत्याशी फैसल रहमान ने बाजी मारी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल को 178 वोटों से हराया है। पूर्वी चंपारण जिले का यह विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल माना जाता है। बिस्फी सीट से आरजेडी के प्रत्याशी आसिफ अहमद ने भाजपा के हरिभूषण ठाकुर को 8,107 वोटों से पराजित किया। चैनपुर सीट से जेडीयू के मोहम्मद जमा खान ने बाजी मारी है। उन्होंने आरजेडी के बृज किशोर बिंद को 8,362 वोटों से पराजित किया। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी

के धीरज कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे। किशनगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद कमरुल होदा ने भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह को 12,794 वोटों से पराजित किया। अररिया से कांग्रेस प्रत्याशी अबिदुर रहमान ने जेडीयू की उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम को 12,741 वोटों से पराजित किया। जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद मंजूर आलम तीसरे स्थान पर रहे।

उर्दू टाइम्स (16 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित हैं। अजीब बात है कि जनता ने जिन उम्मीदवारों को गांव में घुसने तक नहीं दिया वे चुनाव जीत गए। महागठबंधन के उम्मीदवार यह सोच रहे थे कि वे जनता में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन वे हार गए। अब ये उम्मीदवार परेशान हैं कि उन्हें मिलने वाले वोट कहां गए? कहा जाता है कि देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले बिहारी मतदाताओं को इस चुनाव में वोट डालने के लिए विशेष ट्रेनों से भेजा गया था। उनके वोट कहां गए यह किसी को नहीं मालूम। सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाती है। विपक्षी दल आश्वस्त थे कि वे चुनाव जीत रहे हैं। वे इतनी बुरी तरह से कैसे हारे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सांप गुजर गया। अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं।

उर्दू टाइम्स (16 नवंबर) ने जावेद जमालुद्दीन का एक विशेष लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में कहा गया है कि भाजपा ने जिन हथकंडों से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीता था। उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल करके उसने बिहार में भी भारी सफलता प्राप्त की है। सत्तारूढ़ एनडीए ने जिस तरीके से 10-10 हजार रुपये महिलाओं के बैंक खातों में भेजे उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा यह हुआ कि एनडीए को दो तिहाई से भी ज्यादा सीटें मिल गईं। अब सवाल पैदा हो रहा है कि 20 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? मजेदार बात यह है कि एनडीए में शामिल अन्य दलों को भी आशा से अधिक सफलता मिली है। कांग्रेस और वामपंथी दल दो-चार सीटों पर सिमट गए हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता शकील अहमद खान बुरी तरह से हार गए हैं। इसी तरह से सीपीआई (एमएल) के नेता महबूब आलम को भी हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि एनडीए को उन क्षेत्रों में भारी सफलता मिली है, जिनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूची से लाखों नाम काट दिए गए थे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताया है। समाचारपत्र ने उल्लेख किया है कि मुस्लिम और यादव वोटों के विभाजन के कारण एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिली है। इस सफलता में महिलाओं के बैंक खातों में

हस्तांतरित किए गए 10-10 हजार रुपये का खास महत्व है।

मुंसिफ (17 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मतदान में भारी धांधली और वोट खरीदने के हथकंडे के कारण एनडीए को भारी सफलता मिली है। लाखों मतदाताओं ने शिकायत की थी कि मतदान केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही उनके वोट डाले जा चुके थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह आरोप लगते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को रिश्वत देते है। चाहे वह नकद धनराशि हो या उपहार के रूप में। हालांकि, महिला मतदाताओं के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करने से बिहार का मतदान एक व्यापार बन गया है। अब यह देश वोटों की मंडी बन गया है, जहां राजनीतिक दल खुले आम वोट खरीदते हैं।

इंकलाब (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और नीतीश कुमार की कार्यकुशलता का परिणाम है। समाचारपत्र ने महागठबंधन की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस गठबंधन में शामिल विभिन्न घटकों के आपसी मतभेद उसे ले डूबे हैं। बिहार के मतदाताओं ने मतदान में जो रुचि दिखाई है उसके कारण राज्य की राजनीति की तस्वीर ही बदल गई है।

सियासत (16 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिली है। जबकि महागठबंधन का प्रदर्शन शर्मनाक रहा है। यह जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें। अजीब बात है कि आरजेडी को एक करोड़ 15 लाख से भी अधिक वोट मिले हैं। भाजपा और जेडीयू को आरजेडी से काफी कम वोट मिले हैं। इसके बावजूद आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिलीं और एनडीए को 202 सीटें मिल गईं। ऐसा क्यों हुआ? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विपक्ष के इन आरोपों में दम है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के समर्थन में काम किया और उसने चुनावी धांधलियों पर अपनी आंखें मूंद लीं।

अखबार-ए-मशरिक (16 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा कि एनडीए के नेताओं को भी यह आशा नहीं थी कि वे 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। चुनाव विश्लेषकों का

मानना था कि आरजेडी भले ही सत्ता में न आए, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। जन सुराज पार्टी के सभी दावे हवाई साबित हुए हैं और उसे एक भी सीट नहीं मिली है। यही स्थिति अन्य दलों की भी है, जिन्हें भाजपा ने एक रणनीति के तहत विपक्ष के वोट काटने के लिए मैदान में उतारा था। समाचारपत्र ने कहा है कि इस शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है।

एतेमाद (15 नवंबर) ने एआईएमआईएम की कामयाबी को 'अल्लाह का करम' बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि महागठबंधन को सोचना चाहिए कि वह भाजपा की लहर क्यों नहीं रोक पाई?

एतेमाद (16 नवंबर) ने मोहम्मद नसीर ग्यास का एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में दावा किया गया है कि एनडीए ने राजनीतिक मक्कारी, सत्ता और धन के दुरुपयोग से सफलता प्राप्त की है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग ने जिन क्षेत्रों में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे उन क्षेत्रों में एनडीए को भारी सफलता मिली है। इससे साफ है कि चुनाव आयोग ने यह दांव सत्तारूढ़ दल के दबाव में खेला था। लेखक ने चिंता प्रकट की है कि बिहार विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बड़ी तेजी से घट रहा है। मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने के सारे प्रयास विफल रहे हैं।

हमारा समाज (16 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि महागठबंधन ने एक ऐसे चुनाव में हिस्सा लिया, जो शुरू से ही निष्पक्ष माहौल में नहीं हो रहा था। कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए कि राहुल गांधी के अथक प्रयास के बावजूद इस चुनाव में उसकी भारी दुर्गति क्यों हुई है? आरजेडी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से विफल रही है। प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने भी महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। यह महागठबंधन के चुनावी अभियान का एक कमजोर पहलू था, क्योंकि 20 साल के अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दिया जा सके। महागठबंधन ने नीतीश कुमार द्वारा वक्फ विधेयक के समर्थन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। जबकि यह मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम था। इस मुद्दे पर मुसलमानों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने का जो प्रयास किया गया था वह पूरी तरह से विफल रहा।

हिंदुस्तान (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि सरकार विरोधी लहर के बावजूद एनडीए को 202 सीटों पर जीत कैसे मिली? क्या यह सब वोट चोरी के कारण हुआ है? इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार की 'लाडकी बहिन योजना' की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये बांटकर हवा का रुख ही बदल दिया। हैरानी की बात है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के

रूप में उभरी है और नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 नवंबर) ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य साबित हुए हैं। उनकी सफल रणनीति के कारण एनडीए को आशा से अधिक सफलता मिली है। नीतीश कुमार ने 2005 में सुशासन का जो अभियान शुरू किया था उसके कारण बिहार की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से सफल बनाया है।

उर्दू टाइम्स (15 नवंबर) में फारूक अंसारी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में कहा गया है कि इस शताब्दी में भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव सा लग रहा है। बिहार चुनाव का यही स्पष्ट संदेश है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश भी जीत लेगी। अब भाजपा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वह चुनाव जीतने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। पूरी नौकरशाही उसके साथ है। चुनाव आयोग उसके इशारे पर नाच रहा है। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वह चुनावी धांधलियों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की कोशिश करे। राहुल गांधी या पूरा इंडिया गठबंधन किससे लड़ेगा? ये लोग सड़कों पर रोड़ शो करते रहें। प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगाते रहें, लेकिन उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि चुनावी नैतिकता की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरएसएस को पूरा अवसर मिल गया है कि वह देश को हिंदू राष्ट्र में बदले। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से हर न्यायप्रिय व्यक्ति को भारी निराशा हुई है।

दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा खून की होली

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में आत्मघाती धमाका किया। इस धमाके में 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस धमाके में लगभग दो दर्जन लोग घायल हुए हैं, जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन आतंकवादियों की गतिविधियों और साजिशों की गहराई से जांच करने के लिए इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हवाले कर दिया है। इस जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस एनआईए को सहयोग कर रही है। देशभर से 200 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सरकारी तौर पर दो दर्जन संदिग्धों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। इनमें एक दर्जन डॉक्टर और लगभग सात मस्जिदों के इमाम शामिल हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में हर दिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं।

इंकलाब (11 नवंबर) के अनुसार दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए धमाके में 15 लोग मारे गए हैं और तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह धमाका एक कार में हुआ। धमाका इतना जबर्दस्त था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बाद में पुलिस की जांच में इस कार से डॉ. मोहम्मद उमर नबी नामक आतंकवादी के शरीर के

कई अंग मिले। कहा जाता है कि नबी ने विस्फोटक से भरी कार में स्वयं को उड़ा लिया था। पुलिस के अनुसार उमर नबी 'सफेदपोश' आतंकवादी मॉड्यूल का सरगना था। डॉ. उमर के शरीर के टुकड़े से उसके परिवार के सदस्यों का डीएनए मिलान किया गया। इससे यह साबित हो गया कि कार चलाने वाला व्यक्ति डॉ. उमर नबी था। इसके बाद पुलिस ने उमर के पिता समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया। अब तक देश के विभिन्न भागों में मारे गए छापों के दौरान इस गिरोह से जुड़े एक दर्जन से अधिक डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। इनमें एक महिला डॉक्टर शाहीन सईद भी शामिल है। वह लखनऊ की रहने वाली है। इस गिरोह के अधिकांश डॉक्टर फरीदाबाद स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी अल-फलाह में सालों से नौकरी कर रहे थे।

लाल किला के पास हुए धमाके से पहले पुलिस ने फरीदाबाद में छापे मारकर 2900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक पदार्थ बरामद किए थे। इस संदर्भ में लखनऊ, सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में छापे मारकर सात डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आतंकी गिरोह का संबंध पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से बताया जाता है। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार इस गिरोह से जुड़े डॉक्टरों ने पिछले साल तुर्किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई अधिकारियों से गुप्त मुलाकात की थी।

एनआईए ने कश्मीर में छापे मारकर एक 20 वर्षीय छात्र जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है। वानी डॉ. उमर नबी का सहयोगी है। उसने ड्रोन को हथियार बनाने के लिए मोडिफाई किया था और रॉकेट बनाने की कोशिश की थी। इसके अतिरिक्त कश्मीर से डॉ. उमर के एक अन्य सहयोगी आमिर राशिद अली को भी गिरफ्तार किया गया है। आमिर ने धमाके के लिए उमर को कार उपलब्ध कराई थी। जांच एजेंसियों ने अब तक कम-से-कम सात मस्जिदों के इमामों को भी हिरासत में लिया है। इनके तार इस गिरोह से जुड़े हुए हैं।

इंकलाब (16 नवंबर) के अनुसार श्रीनगर के नौगाम थाने में फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक में धमाका हुआ। इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए।

मरने वाले अधिकांश पुलिसकर्मी थे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस धमाके में मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

इंकलाब (19 नवंबर) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टरों की भर्ती में जवाद सिद्दीकी का हाथ था या नहीं? यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या सिद्दीकी ने दिल्ली में हुए धमाके के लिए आतंकवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी? सिद्दीकी मूल रूप से मध्य प्रदेश के महू का रहने वाला है। वह एक साधारण परिवार से संबंधित है, लेकिन अब उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। जांच एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि उसने किन स्रोतों से इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में हापुड़, सहारनपुर, दिल्ली, हरियाणा और कश्मीर से कई लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस ने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बताने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है, इसलिए इस संबंध में और अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती।

सियासत (14 नवंबर) के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसी समाचारपत्र ने 13 नवंबर के अंक में दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस ने मुंब्रा और कुर्ला में कई लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ लोग मस्जिदों से जुड़े हुए हैं।

एतेमाद (10 नवंबर) के अनुसार गुजरात एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एटीएस ने एक डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का प्रमुख डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद है। उसके कब्जे से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। उसका संबंध आईएसआईएस के खुरासान विंग से बताया जाता है। डॉ. मोहिउद्दीन चीन से एमबीबीएस कर चुका है। एटीएस के अनुसार ये तीनों आतंकवादी 'रिसिन' नामक एक जहरीला पदार्थ तैयार कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने बताया कि यह पदार्थ साइनाइड से भी ज्यादा घातक है। यह जांच की जा रही है कि यह नेटवर्क इस पदार्थ का इस्तेमाल किस प्रकार करने वाला था।

उर्दू टाइम्स (12 नवंबर) ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके पर चिंता प्रकट की है। हालांकि, समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में लगे सीएनजी सिलेंडर के फटने से यह धमाका हुआ है। समाचारपत्र ने मांग की है कि आतंकवादियों की बारिकी से जांच की जाए और उनके खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाए।

हिंदुस्तान (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में दिल्ली धमाके पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने संदेह व्यक्त किया है कि यह धमाका कार में लगे सीएनजी सिलेंडर के फटने से हो सकता है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां इस मामले में भी मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण होकर काम कर रही है।

अखबार-ए-मशरिक (13 नवंबर) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि यह आतंकवादी घटना बिहार विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले हुई है, इसलिए जांच एजेंसियों को यह भी जांच करना चाहिए कि इन धमाकों के तार किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए तो नहीं हैं? समाचारपत्र ने जोर दिया है कि दिल्ली धमाकों की जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को पहले से एक तयशुदा फॉर्मूले के तहत काम नहीं करना चाहिए और न ही किसी विशेष धर्म से संबंधित लोगों को जानबूझकर निशाना बनाना चाहिए।

औरंगाबाद टाइम्स (14 नवंबर) ने दावा किया है कि आतंकवादियों ने 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर देश के कई शहरों में सीरियल बम धमाका करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने 32 कारों की व्यवस्था की थी। जांच एजेंसियां अब तक चार कारों को बरामद कर चुकी हैं। समाचारपत्र ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि जब फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया था तो उसके अन्य साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? समाचारपत्र ने इस बात की भी आलोचना की है कि डॉ. मुजम्मिल गनी और डॉ. शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद आत्मघाती आतंकवादी डॉ. उमर नबी यूनिवर्सिटी से लापता हो गया था। वह एक सप्ताह तक हरियाणा के नूंह में छिपा रहा, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता तो निश्चित रूप से लाल किला के पास हुए धमाके को रोका जा सकता था।

सियासत (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जांच एजेंसियों ने जब फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था तो उन्होंने तुरंत इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? समाचारपत्र ने कहा है कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। अभी तक का अनुभव यह है कि जांच एजेंसियां एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोगों को

अपना निशाना बनाती हैं और बाद में वे अदालतों से निर्दोष सिद्ध होते हैं। जांच एजेंसियों को किसी विशेष धर्म से संबंधित लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब तक जांच एजेंसियां निष्पक्षता से काम नहीं करेंगी तब तक आतंकवाद का उन्मूलन करना संभव नहीं है।

एतेमाद (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस किया था। इसके अतिरिक्त खुफिया नेटवर्क को भी मजबूत किया गया था। सरकार की इस कार्रवाई के कारण आतंकवादी गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि, दिल्ली में हुए धमाके से यह संकेत मिलता है कि विदेशियों के इशारे पर देश में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने वाले तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से साफ होता है कि आतंकवाद उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग में भी अपने पसार रहा है। आतंकवादी पहले से ज्यादा संगठित हो गए हैं और वे नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देश के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए।

एतेमाद (15 नवंबर) ने चिंता प्रकट की है कि सुरक्षा एजेंसियां मस्जिदों के इमामों को जानबूझकर अपना निशाना बना रही हैं। इससे आम मुसलमानों में भय का माहौल बन रहा है।

हमारा समाज (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि इन आतंकवादियों का संबंध मदरसों से है, जो हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से दिशा-निर्देश लेते थे। यह पहला अवसर नहीं है जब आतंकवाद की आड़ में मजहब का कार्ड खेला जा रहा हो। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश में इस तरह का माहौल बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार ने तीन दिन के बाद दिल्ली में हुए कार धमाके को आतंकवादी घटना करार दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में धमाका होने से यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। क्या हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है? अगर यह वास्तव में आतंकवादी हमला था तो हमें यह पूछने का अधिकार है कि आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या आतंकवादी जब चाहें और जहां चाहें अपने भयंकर योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं? आखिर इसके लिए कौन दोषी है? समाचारपत्र ने आलोचना की है कि जब भी आतंकवाद की कोई घटना होती है तो मीडिया उसे मुसलमानों से जोड़कर देखने लग जाता है और देश में मुस्लिम विरोधी माहौल को हवा दी जाती है।

इंकलाब (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि दिल्ली में हुए धमाके से साफ है कि दुश्मन अब सीमाओं पर नहीं, बल्कि देश के अंदर भी अपने पैर जमा चुके हैं। बड़ी अजीब बात है कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पहुंच गया और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अक्सर ऐसी घटनाएं तब होती हैं, जब देश में चुनाव का माहौल होता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या सुनियोजित साजिश का हिस्सा? सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विवाद

कौमी भारत (8 नवंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि विघटनकारी मानसिकता के कारण आजादी के महामंत्र वंदे मातरम के कुछ भागों को हटा दिया गया था। इसके कारण देश में विभाजन के बीज बोए गए। इसका परिणाम देश के विभाजन के रूप में हुआ। यह विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर वंदे मातरम से संबंधित एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले एक वर्ष तक देशभर में समारोह मनाने की घोषणा की है।

एक अन्य समाचार के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वंदे मातरम से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुंबई में भी भाजपा की ओर से विशेष समारोह का आयोजन किया गया। लखनऊ में वंदे मातरम पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (10 नवंबर) के अनुसार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं।

इंकलाब (10 नवंबर) के अनुसार कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वंदे मातरम के कुछ विवादित अंशों को हटाने का फैसला 1937 में कोलकाता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में किया गया था। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, भूलाभाई देसाई, जमनालाल बजाज और आचार्य नरेन्द्र देव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इस फैसले का समर्थन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने

भी किया था। गुरुदेव ने सुझाव दिया था कि वंदेमातरम के दो पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी जाए।

अवधनामा (9 नवंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की वंदना की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के प्रावधान के अनुसार देश के किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक आस्था के विपरीत किसी भी गीत को गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय भी स्पष्ट निर्देश दे चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुमत से इस राष्ट्रीय गीत के उन अंशों को हटा दिया था, जिसमें भारत माता की वंदना का प्रावधान था।

एतेमाद (6 नवंबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के इस्लामिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा जारी उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें राज्य के सभी स्कूलों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का आदेश दिया गया था। मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है और इससे घाटी में धार्मिक सद्भावना के वातावरण को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का गायन इस्लामिक आस्था के विपरीत है, क्योंकि उसमें देवी की वंदना की गई है। इस्लाम में अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की वंदना करने की अनुमति नहीं है। मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस आदेश को फौरन वापस लेने का अनुरोध किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने आरोप लगाया है कि आरएसएस की विचारधारा को देश की जनता पर जबरन लादा जा रहा है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया है। उन्होंने इस संबंध में राज्य की निर्वाचित सरकार से मशवरा नहीं लिया है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। उपराज्यपाल ने यह फैसला बाहरी ताकतों के इशारे पर किया है, जो अस्वीकार्य है।

सियासत (11 नवंबर) के अनुसार महाराष्ट्र जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना हलीम उल्लाह कासमी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे ऐसे स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल लें, जिसमें वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है।

इंकलाब (11 नवंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और विख्यात मुस्लिम विद्वान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का विरोध किया है। उन्होंने राज्य के मुसलमानों से अपील की है कि वे उन स्कूलों का बहिष्कार करें, जिसमें राष्ट्रीय गीत का गायन अनिवार्य हो।

इंकलाब (11 नवंबर) में डॉ. तस्लीम अहमद रहमानी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में कहा गया है कि भाजपा इस राष्ट्रीय गीत के उन अंशों को मुसलमानों पर जबरन लादना चाहती है, जिसमें माता दुर्गा की वंदना की गई है। उन्होंने कहा कि 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जब वंदे मातरम गाया गया था तब इसका काफी विरोध हुआ था। इसके बाद यह फैसला किया गया कि वंदे मातरम के उन अंशों को निकाल दिया जाए, जिसमें माता दुर्गा की वंदना की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की वंदना को देश की जनता पर जबरन थोपा जा रहा है। इसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस जानबूझकर इस विवाद को हवा देना चाहता है ताकि देश की एकता खंडित हो जाए और एक नया विवाद पैदा हो।

हिंदुस्तान (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का विरोध करते हुए कहा है कि यह इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास 'आनंद मठ' का हिस्सा है। इसमें दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी हिंदू देवियों की वंदना की गई है। यह मुसलमानों के बुनियादी सिद्धांत 'एक अल्लाह' की उपासना की अवधारणा के खिलाफ है। समाचारपत्र ने लिखा है कि 1937 में कांग्रेस ने मुसलमानों के विरोध को देखते हुए राष्ट्रीय गीत के कुछ अंशों को हटा दिया था। आजादी के बाद भी कांग्रेस सरकारों ने कभी भी मुसलमानों पर वंदे मातरम को थोपने का प्रयास नहीं किया। अब संघ परिवार ने मुसलमानों पर हिंदुत्व को थोपना शुरू कर दिया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि जब महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एक सप्ताह तक राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया तो तीन मुस्लिम विधायकों अबू आसिम आजमी, असलम शेख और अमीन पटेल ने इसका विरोध किया। इसके बाद मुंबई भाजपा ने वंदे मातरम का विरोध करने वाले तीनों मुस्लिम विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर वंदे मातरम गाया। यह सब जानबूझकर मुसलमानों की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए किया गया। अजीब बात है कि जिन लोगों ने अपनी शाखाओं में कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया वे देश की एकता को खंडित करने के लिए इसे मुसलमानों पर जबरन थोप रहे हैं।

रोजनामा सहारा (17 नवंबर) ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस विवाद को जानबूझकर दोबारा खड़ा किया है। इसका उद्देश्य कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाना है। अब इस विवाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिम बंगाल के एक उच्चाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में 'आनंद मठ' नामक उपन्यास लिखा था। इसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया था। इस उपन्यास का लक्ष्य ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करना और मुस्लिम शासकों के खिलाफ नफरत की भावना भड़काना था। इस उपन्यास में पहली बार मुसलमानों को आक्रांता और विदेशी घोषित किया गया था। वंदे मातरम में मां दुर्गा की पूजा का आह्वान किया गया है और

सनातन के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी गई है। मुसलमान शुरू से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बहाने मुसलमानों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। जब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के एक वर्ग ने इसे स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाए जाने का विरोध किया तो मुख्यमंत्री योगी ने अगले ही दिन बाराबंकी में एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध वही लोग कर रहे हैं, जो भारत माता के खिलाफ हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जो लोग सरकारी योजनाओं को हड़पने की होड़ में सबसे आगे होते हैं वे कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी मजहब या धर्म राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। समाचारपत्र ने कहा है कि अजीब बात है कि मुख्यमंत्री ने इसे सरकारी योजनाओं से जोड़ दिया है। जो लोग इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं वे भी समाज के अन्य वर्गों की तरह सरकार को कर देते हैं। सरकारी निधि किसी मुख्यमंत्री या शासक पार्टी की जागीर नहीं है। जनता के कर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ उठाने का अधिकार हर नागरिक को है।

अखबार-ए-मशरिक (14 नवंबर) ने कहा है कि विवादित मुद्दों को उछालना और उसका लाभ उठाना भाजपा का आजमाया हुआ राजनीतिक हथकंडा है। हिंदुत्व की ठेकेदार इस पार्टी को जब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है तो वह कोई न कोई भावनात्मक मुद्दा उछालकर बहुसंख्यक समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। देश इस समय संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। इस गंभीर हालत से निकालने के

बजाय भाजपा की सरकार नया राजनीतिक विवाद खड़ा करने में जुटी हुई है। इसी संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विवादित गीत के मुद्दे को उछालकर देश में नई चर्चा की शुरुआत कर दी है। राजनीतिक स्तर पर पहली बार वंदे मातरम की 150वीं बरसी मनाई जा रही है। सत्तारूढ़ दल की ओर से वंदे मातरम की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हालांकि, इतिहासकारों का मानना है कि इस गीत के कारण देश की सांप्रदायिक सद्भावना पर आघात होता है।

समाचारपत्र का दावा है कि अपने उपन्यास 'आनंद मठ' में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत को एक काल्पनिक मूर्ति के रूप में पेश किया और उसे भारत माता का नाम दे दिया। बाद में इसे देवी दुर्गा और काली के रूप में पेश किया गया। ये बातें देश में रहने वाले गैर-हिंदू नागरिकों की धार्मिक आस्था के खिलाफ हैं, इसलिए मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। यही कारण है कि 1937 में कांग्रेस ने तय किया था कि वंदे मातरम के आरंभिक दो पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाए जाएं। सरकार यह चाहती है कि वंदे मातरम के नाम पर मुसलमान अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में समाज के अन्य वर्गों से पिछड़ जाएं, इसलिए मुसलमानों को सरकार के इस इरादे के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश

इंकलाब (3 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) एलआर कुमार ने 29 अक्टूबर 2025 को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और जिलों के एसपी-एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर नजर रखें। इस आदेश पत्र में कहा गया है कि तब्लीगी जमात के लोगों से जुड़ी जानकारी प्रतिदिन सुबह आठ बजे आईजी रेंज के जरिए एडीजी जोन को भेजी जाए। यह भी बताना होगा कि जमात के लोग कहां से आए थे? जिले के लोग अगर जमात में शामिल हैं तो वे कहां गए?

गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तब्लीगी जमात के मुख्यालय में एक इज्तिमा का आयोजन किया गया था। इस इज्तिमा में दो हजार से ज्यादा विदेशी और भारतीय मुसलमान शामिल हुए थे। जब इनकी कोरोना जांच की गई तो 400 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि इस इज्तिमा में शामिल जमात के कार्यकर्ताओं के कारण पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इस संबंध में कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। बाद में अदालतों ने इन मुकदमों को खारिज कर दिया था। जानकार सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे के बाद देश का खुफिया तंत्र तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (16 नवंबर) के अनुसार लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद पुलिस ने दिल्ली और फरीदाबाद की कुछ मस्जिदों पर छापे मारकर तब्लीगी जमात से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इनमें कुछ मस्जिदों के इमाम भी शामिल हैं।

9 नवंबर के अंक में इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुसंख्यक समाज के वोटों के ध्रुवीकरण की गति को तेज करने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाल रही है। हालांकि, तब्लीगी जमात का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उसकी गतिविधियां इस्लाम के प्रचार-प्रसार तक ही सीमित हैं।

कौमी भारत (20 अक्टूबर) के अनुसार हरियाणा के नूंह में तब्लीगी जमात का एक विशाल इज्तिमा हुआ। इसमें नौ लाख लोगों ने हिस्सा लिया।

इंकलाब (18 नवंबर) के अनुसार भोपाल में विश्व तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन किया गया। इस इज्तिमा की शुरुआत तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी की सामूहिक दुआ से हुई। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे इस्लाम पर कायम रहें और रसूल की सुन्नत पर अमल करें। इसके अतिरिक्त मदरसों के संरक्षण और सरकारी उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए भी सामूहिक दुआ पढ़ी गई। इस इज्तिमा में 10-15 लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस इज्तिमा के लिए सुरक्षा प्रबंध और यातायात को सुगम बनाने की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से इज्तिमा में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बिजली, पानी और सफाई का विशेष प्रबंध किया गया।

पृष्ठभूमि: तब्लीगी जमात की स्थापना 1926 में मुजफ्फरनगर के कस्बा कांधला के एक मुस्लिम विद्वान मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने की थी। मौलाना इलियास ने मुस्लिम शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी। वे इस्लाम की वहाबी विचारधारा के पोषक थे। भारत में पहला तब्लीगी इज्तिमा 1949 में भोपाल की मस्जिद शकूर खान में आयोजित किया गया था। अरबी भाषा में इज्तिमा का अर्थ इकट्ठा होना है। कहा जाता है कि तब्लीगी जमात की स्थापना आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के जवाब में की गई थी। मौलाना इलियास ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों की शुरुआत मेवात से की थी। इस जमात का आदर्श वाक्य है, "ऐ मुसलमानों! मुसलमान बनो।"

शुरुआती सात दशकों में इस जमात के तीन अमीर हुए हैं। ये सभी एक ही परिवार के थे। 1944 में मौलाना इलियास के निधन के बाद उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ कांधलवी ने तब्लीगी जमात के अमीर का पद संभाला। 1965 में यूसुफ के निधन के बाद इनामुल हसन जमात के तीसरे अमीर बने। 77 वर्ष की उम्र में 1995 में इनामुल हसन का निधन हो गया। उनके निधन के बाद तब्लीगी जमात के अमीर के सवाल पर जमात में विवाद शुरू हुआ। यह विवाद मौलाना इलियास के परपोते मौलाना साद और जमात के दूसरे अमीर यूसुफ के पोते मौलाना जुबैर उल हसन के बीच शुरू हुआ। 2014 में मौलाना जुबैर उल हसन का निधन हो गया। इस पर जमात के एक बड़े हिस्से ने मौलाना साद को जमात का अमीर मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद साद के विरोधियों ने मजलिस-ए-शूरा का गठन किया और यह फैसला किया कि भविष्य में तब्लीगी जमात को मजलिस-ए-शूरा की देख रेख में चलाया जाए।

नवंबर 2015 में पाकिस्तान में लाहौर के समीप स्थित रायविंड में मौलाना साद के विरोधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की गई कि भविष्य में तब्लीगी जमात के कार्य का संचालन नवगठित मजलिस-ए-शूरा के निर्देशन में किया जाएगा। इसमें 13 लोगों को मनोनीत किया गया। रायविंड के इज्तिमा के इस फैसले को मौलाना साद ने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि "मैं अमीर हूं। सबका अमीर हूं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो जहन्नुम में जाओ।" इस समय स्थिति यह है कि तब्लीगी जमात चार भागों में विभाजित हो चुका है। एक गुट का मुख्यालय पाकिस्तान के लाहौर स्थित रायविंड में है। जबकि दूसरे गुट का मुख्यालय ढाका के टोंगी में है। जबकि तीसरे गुट का संचालन नवी मुंबई के तब्लीगी मरकज द्वारा किया जा रहा है। ये तीनों गुट इस बात पर सहमत हैं कि तब्लीगी जमात का संचालन विश्व स्तर पर गठित की गई मजलिस-ए-शूरा के निर्देश पर किया जाए और भविष्य में जमात का कोई अमीर नहीं होगा।

जबकि चौथा गुट मौलाना साद का है। इस गुट का मुख्यालय दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती में स्थित बंग्लेवाली मस्जिद में है। साद का दावा है कि वे जमात के अमीर हैं और मजलिस-ए-शूरा का गठन अवैध रूप से किया गया है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश के टोंगी में बांग्लादेश तब्लीगी जमात और साद गुट ने अलग-अलग इज्तिमा का आयोजन किया था। इस दौरान दोनों गुटों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने मौलाना साद को बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया था।

तब्लीगी जमात का दावा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसकी शाखाएं दुनिया के 140 देशों में फैली हुई हैं। इसके अनुयायियों की संख्या 8-10 करोड़ के बीच बताई जाती है। हैरानी की बात है कि सऊदी अरब समेत एक दर्जन इस्लामिक देशों ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ■

पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल

उर्दू टाइम्स (5 नवंबर) के अनुसार पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। 31 अक्टूबर को राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन में अजहरुद्दीन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली और अंत में जय तेलंगाना और जय हिंद के नारे लगाए। 62 वर्षीय अजहरुद्दीन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल के पहले मुस्लिम मंत्री हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने अगस्त महीने में अजहरुद्दीन को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने का फैसला किया था। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। अजहरुद्दीन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद राज्य के मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है, जो संवैधानिक सीमा 18 मंत्रियों से दो कम है।

एतेमाद (2 नवंबर) ने मोहम्मद अजहरुद्दीन के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में पहली बार एक मुस्लिम मंत्री को शामिल किया गया है। इसका कारण यह है कि जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 30 प्रतिशत से अधिक है। भाजपा ने अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस फैसले को सामाजिक न्याय करार दिया है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि पार्टी ने मंत्रिमंडल में मुस्लिम मंत्री को शामिल करने का जो वायदा किया था उसे पूरा किया है। खास बात है कि अजहरुद्दीन न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। उन्हें राज्यपाल के कोटे से मनोनीत किया गया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि जुबली हिल्स क्षेत्र का उपचुनाव जीतने के लिए अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वे 2023 में इसी क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन वे बीआरएस के उम्मीदवार एम. गोपीनाथ से हार गए थे। 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 119 सीटों में से कांग्रेस ने 64 और बीआरएस ने 39 सीटें जीती

रेड्डी अच्छी तरह से जानते हैं कि तेलंगाना में सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ बहुसंख्यक समाज का समर्थन काफी नहीं है, बल्कि उन्हें मुसलमानों में भी पैठ बनानी होगी। पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस तेलंगाना के मुस्लिम मतदाताओं में लोकप्रियता खोती जा रही है और इसका लाभ एआईएमआईएम को मिल रहा है। कांग्रेस ने तेलंगाना के शहरी क्षेत्रों में अपनी लोकप्रियता में बढ़ोतरी करने के लिए यह खेल खेला है। एक मुसलमान को मंत्रिमंडल में स्थान देना पार्टी का एक नपा-तुला कदम है ताकि मुसलमानों को यह अहसास रहे कि उनकी उपेक्षा नहीं की गई है। हालांकि, अजहरुद्दीन तेलंगाना की राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन वे एक क्रिकेटर के रूप में जनता में काफी लोकप्रिय रहे हैं।

थीं। भाजपा को आठ सीटें और एआईएमआईएम को सात सीटें मिली थीं। जबकि एक सीट पर सीपीआई का उम्मीदवार जीता था।

इससे पहले अजहरुद्दीन ने 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता था। 1989 में के. श्रीकांत के बाद अजहरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन 2000 में उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। जांच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनके क्रिकेट खेलने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, नवंबर 2012 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अजहरुद्दीन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के निजाम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की थी। 1987 में उन्होंने नौरीन से निकाह किया था। 1996 में उन्होंने नौरीन को तलाक देकर अभिनेत्री संगीता बिजलानी से शादी कर ली। 2010 में उन्होंने संगीता बिजलानी को भी तलाक दे दिया।

मुंसिफ (10 नवंबर) ने कहा है कि अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब नाराज मुस्लिम मतदाताओं को मनाने का प्रयास कर रही है। रेवंत

हिंदुस्तान (3 नवंबर) ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस एआईएमआईएम से पिछड़ती जा रही है। अजहरुद्दीन ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है। तेलंगाना के मुसलमानों के कल्याण के लिए जरूरी है कि सभी मुस्लिम नेता आपसी मतभेद भुलाकर मुसलमानों के कल्याण के लिए एकजुट हों।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने जिस रणनीति से मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया था उसका सुखद परिणाम उसे मिल गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स का उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ को 24,729 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का समर्थन किया था। ■

शेख हसीना को मौत की सजा

इंकलाब (18 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। आईसीटी ने अपने फैसले में कहा है कि शेख हसीना को पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड पाया गया है। आईसीटी ने हसीना के अतिरिक्त पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई है। जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की सजा सुनाई गई है। सरकार ने सजा सुनाए जाने से पहले ही पूरे देश में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे, क्योंकि उसे इस फैसले के खिलाफ देश में हिंसा भड़कने की आशंका थी। आईसीटी के फैसले पर टिप्पणी करते हुए शेख हसीना ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के नाम एक संदेश में कहा है कि "वे परेशान न हों। उन्हें फैसला करने दें। मुझे उनके फैसले की परवाह नहीं। मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है और वही इसे वापस लेगा। मैं अपने देश के लिए कार्य करती रहूंगी। मैंने अपने परिवारजनों को खो दिया है। उन्होंने मेरा घर जला दिया है। हम इसे नहीं भूलेंगे और हर चीज का हिसाब लिया जाएगा।"

समाचारपत्र के अनुसार न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश में कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस ने काफी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। आईसीटी ने अपने फैसले में कहा है कि शेख हसीना ने टेलीफोन कॉल के जरिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों की हत्या का आदेश दिया था। 'ढाका ट्रिब्यून' के अनुसार हसीना की पार्टी अवामी लीग ने लोगों से देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। जब ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया तो उस समय अदालत में सिर्फ एक आरोपी पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून ही मौजूद थे। इससे पहले मामून ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान भी भारत में हैं।

बांग्लादेश सरकार ने भारत से मांग की है कि वह आरोपी शेख हसीना को उसके हवाले कर दे ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा

सके। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इसके लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करता रहेगा।

हिंदुस्तान (16 नवंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार अब निष्पक्ष नहीं रही है। वह हेरा फेरी करके एक विशेष दल को सत्ता में लाने का प्रयास कर रही है। जमात-ए-इस्लामी के नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में देश में निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने पर उन्हें संदेह है। जमात-ए-इस्लामी सहित आठ अन्य दलों ने मांग की है कि चुनाव से पहले संविधान में संशोधन के बारे में जनमत संग्रह करवाया जाए। गौरतलब है कि मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी महीने में देश में चुनाव करवाने की घोषणा की है।

अवधनामा (5 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने स्कूलों में संगीत की शिक्षा नहीं देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि यह फैसला जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामिक संगठनों के दबाव पर किया गया है। जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि संगीत की शिक्षा देना इस्लाम और शरिया के खिलाफ है। स्कूलों में संगीत और नृत्य कला को लागू करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हिंदुस्तान (16 नवंबर) के अनुसार यूरोप में रहने वाले सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार जनता के बुनियादी अधिकारों का हनन कर रही है। देशभर में अल्पसंख्यकों और विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारिया की जा रही हैं और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।

कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल

एतेमाद (8 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हो रहा है। वह इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। इससे इजरायल और मुस्लिम देशों के बीच के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के अनुसार इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के साथ बातचीत हो चुकी है। इस संबंध में जल्द ही एक समारोह में हस्ताक्षर होंगे। कजाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल के साथ संबंधों में सुधार कजाकिस्तान की विदेश नीति का एक

हिस्सा है। पहले से ही कजाकिस्तान के इजरायल के साथ व्यापारिक संबंध हैं। अब इसे राजनयिक संबंधों का रूप दिया जा रहा है।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों से अलग-अलग मुलाकात की है। कहा जाता है कि अमेरिका ने यह कदम पश्चिम एशिया में रूस और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उठाया है। ट्रम्प ने आशा व्यक्त की है कि इस समझौते में पश्चिम एशिया के कई अन्य देश भी शामिल होंगे। इजरायल के प्रवक्ता ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि अब अरब जगत के मुस्लिम देशों के साथ-साथ पश्चिम एशिया के अन्य मुस्लिम देशों के साथ भी इजरायल के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे अमेरिका के साथ-साथ इजरायल को भी लाभ होगा।

एतेमाद (10 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि अब इजरायल अमेरिका के माध्यम से सोवियत यूनियन के मुस्लिम देशों के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। इस बात की भी संभावना है कि इस महीने जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात करेंगे तो उन पर इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डाला जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि जिस तरह से इस्लामिक देशों में इजरायल का प्रभाव बढ़ रहा है वह इस्लाम और फिलिस्तीन के हित में नहीं है, इसलिए मुस्लिम देशों को अमेरिका के दबाव में आकर इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका का शुरू से यह प्रयास रहा है कि मुस्लिम देशों के साथ इजरायल के संबंधों को सुधारा जाए। इसकी शुरुआत 1979 में मिस्र और इजरायल के बीच हुए

समझौते से हुई थी। इस समझौते के तहत मिस्र ने इजरायल के साथ युद्धविराम की घोषणा की थी और इजरायल के साथ व्यापारिक संबंधों की शुरुआत की थी। 25 जुलाई 1994 को अमेरिकी व्हाइट हाउस में जॉर्डन के शाह हुसैन ने इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन से मुलाकात की थी। इसके साथ ही जॉर्डन और इजरायल के बीच 46 साल से जारी युद्ध का खात्मा हो गया था। इसके बाद इन दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका का यह प्रयास है कि ईरान को पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में अकेला कर दिया जाए। यही कारण है कि 2020 में इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद सूडान ने इजरायल के साथ संबंध स्थापित किए और उसे मान्यता दी। इस समय इजरायल के मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के साथ राजनयिक संबंध हैं। बाद में ट्रम्प के प्रयास से इजरायल और मोरक्को के बीच भी राजनयिक संबंध स्थापित हुए। अमेरिका का प्रयास है कि अब किसी भी तरह से अरब जगत के प्रमुख देश सऊदी अरब को भी इस समझौते में शामिल किया जाए। इससे साफ है कि अब मुस्लिम देशों के लिए फिलिस्तीन की समस्या कोई मायने नहीं रखती और न ही उन्हें फिलिस्तीनी जनता के साथ कोई हमदर्दी है। ये मुस्लिम देश इस्लाम और रसूल के हितों की उपेक्षा करके अमेरिका के दबाव में इजरायल को मान्यता दे रहे हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता विफल

चट्टान (9 नवंबर) के अनुसार तुर्की और कतर के प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेताओं के बीच इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता विफल हो गई है। इसके साथ ही इन दोनों देशों के बीच झड़पों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा काबुल पर हमले के बाद इन दोनों देशों के बीच खूनी झड़पों की शुरुआत हुई थी। इसमें दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। 19 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच अस्थाई युद्धविराम हुआ था। इस वार्ता की विफलता पर टिप्पणी करते हुए अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस वार्ता की विफलता की जिम्मेवारी पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का रवैया गैर-जिम्मेदाराना और असहयोगपूर्ण था। हालांकि, अफगानिस्तान इस वार्ता में पूरी ईमानदारी से भाग ले रहा था और मध्यस्थ देश भी यह चाहते थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध न हो। मुजाहिद ने कहा कि हम बार-बार पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन हमारी भूमि से नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने जानबूझकर इस समझौता वार्ता में पलीता लगा दिया।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने दावा किया है कि वार्ता विफल हो गई है और हम वापस अपने देश लौट रहे हैं। भविष्य में इस संबंध में वार्ता होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अफगानिस्तान अपने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान अक्ल से काम लेता है तो इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने हमें इस बात की लिखित गारंटी देने से इनकार कर दिया कि भविष्य में पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उसकी ओर से प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान भारत के इशारे पर नाच रहा है और भारत यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता सफल हो।

चट्टान (14 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि तालिबान सरकार का एक ताकतवर गुट यह नहीं चाहता कि दोनों देशों की बीच वार्ता सफल हो। यह गुट विदेशियों के इशारे पर नाच रहा है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान तालिबान आतंकवाद को पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या बताता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आतंकवादी हमलों को उचित ठहराते हुए फतवे जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में अफगान नागरिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हैं। काबुल में एक समारोह को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इस वार्ता की विफलता के लिए पाकिस्तान को दोषी बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे लिखित गारंटी मांगी थी कि भविष्य में पाकिस्तान में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या हम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेवार हैं? क्या वहां पर हमारे सैनिक मौजूद हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें?

उर्दू टाइम्स (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता की विफलता पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि दोनों मुस्लिम देश एक ही कलमे को मानते हैं। वे कुरान और रसूल के अनुयायी हैं, लेकिन खून की दरिया बहा रहे हैं। यह इस्लाम की भावना के सरासर खिलाफ है, इसलिए दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। दो मुस्लिम देशों में लड़ाई इस्लाम के लिए खतरा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अफगानों के धैर्य की परीक्षा न ले। अगर पाकिस्तान ने अपने हमलों को जारी रखा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की हार से सबक लेना चाहिए।

अवधनामा (12 नवंबर) के अनुसार इस्लामाबाद की अदालत के बाहर एक वाहन में हुए आत्मघाती धमाके में कम-से-कम 12 लोग मारे गए और 27 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आत्मघाती हमलावर का सिर सड़क पर पाया गया है। इस हमले में कई वकील भी घायल हुए हैं। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीटीपी ने कहा है कि हमलों का यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक देश में शरिया कानून को लागू नहीं कर दिया जाता। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस हमले पर चिंता प्रकट की है।

अमेरिकी चुनावों में भारतीय मूल के दो मुस्लिम नेताओं की शानदार जीत

हाल ही में अमेरिका में हुए चुनावों में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने शानदार जीत दर्ज की है। वे राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रबल विरोध के बावजूद भारी मतों से न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। जबकि अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी ने जीत दर्ज की है। हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (9 नवंबर) के अनुसार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे ताकतवर राज्य न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। अमेरिकी इतिहास में पहली बार कोई मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बना है। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीते तो वे न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे, लेकिन जनता ने ट्रम्प की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। न्यूयॉर्क एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व की कई बड़ी कंपनियों का मुख्यालय भी वहीं पर स्थित है। न्यूयॉर्क के मेयर के नियंत्रण में 45 सरकारी विभाग और तीन लाख से अधिक कर्मचारी हैं।

34 वर्षीय जोहरान ममदानी सोशलिस्ट हैं और वे डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुने गए हैं। उनकी मां का नाम मीरा नायर है। मीरा नायर एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। जबकि जोहरान के पिता महमूद ममदानी हैं। महमूद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जोहरान ममदानी शुरू से ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनका रवैया भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी खिलाफ रहा है।

अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने ममदानी की जीत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि विचारधारात्मक बदलाव है। दुनिया के सबसे ताकतवर वित्तीय और सामाजिक केंद्र में एक समाजवादी व्यक्ति की जीत का प्रभाव अमेरिका की राजनीति पर भी होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति की जीत के बाद ऐसा लगता है कि लोग अब इस्लामोफोबिया के जाल से निकलकर इस्लाम को

पसंद करने लगे हैं। पूरे न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत का जश्न मनाया गया। इस जश्न में न केवल मुसलमान, बल्कि ईसाई और यहूदी भी शामिल हुए। यह अमेरिकी राजनीतिक में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। औरंगाबाद टाइम्स ने लिखा है कि न्यूयॉर्क राज्य में 285 मस्जिदें, 722 इस्लामिक केंद्र और 564 पंजीकृत इस्लामिक संगठन हैं।

समाचारपत्र के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि ममदानी को वाशिंगटन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए। अगर वे इसमें विफल रहते हैं तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ममदानी कम्युनिस्ट हैं और उनकी जीत से न्यूयॉर्क का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इससे पहले ट्रम्प ने न्यूयॉर्क के यहूदियों से अपील की थी कि वे ममदानी को वोट नहीं दें, क्योंकि वे यहूदियों के दुश्मन हैं।

उर्दू टाइम्स (7 नवंबर) ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी को हराने के लिए 26 अरबपतियों ने लगभग 196 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह धनराशि ममदानी के विरोधी उम्मीदवार के चुनावी अभियान में खर्च की गई थी।

अवधनामा (6 नवंबर) के अनुसार भारतीय मूल की मुस्लिम महिला गजाला हाशमी अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीती हैं। अब तक वे वर्जीनिया राज्य की सीनेटर थीं। चुनाव जीतने के बाद हाशमी ने वायदा किया है कि वे मजदूरों के अधिकारों और प्रगतिशील विकास के लिए कार्य करेंगी। उन्होंने वर्जीनिया के 'राइट टू वर्क' कानून का खुलकर विरोध किया है। सबसे रोचक बात है कि हाशमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों की खुलकर आलोचना की है और उनकी टीम को अनैतिक लोगों का गिरोह करार दिया है। गजाला हाशमी का संबंध हैदराबाद से है। बचपन में वे अपने परिवार के साथ हैदराबाद से अमेरिका चली गई थीं। उन्होंने अमेरिकी साहित्य में पीएचडी की है और वे पेशे से एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

अखबार-ए-मशरिक (9 नवंबर) ने आलोचना की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजराती मूल के जोहरान ममदानी की जीत को कोई महत्व नहीं दिया और न ही उन्होंने ममदानी को बधाई दी। हालांकि, ममदानी मूल रूप से मोदी के राज्य गुजरात से आते हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि जब विदेशों में कोई भारतीय मूल का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो देश का गोदी मीडिया और भाजपा के नेता उसका महिममांडन करने लगते हैं। जब कमला हैरिस अमेरिका की

उपराष्ट्रपति चुनी गईं तो प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों ने खुशियां मनाईं और उन्हें 'भारत की बेटी' करार दिया। हालांकि, कमला हैरिस न तो हिंदू हैं और न ही हिंदुस्तानी। वे धर्म से ईसाई और नागरिकता से अमेरिकी हैं।

इसी तरह से जब 2022 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री मोदी, गोदी मीडिया और अंधभक्तों ने खूब खुशियां मनाईं, क्योंकि ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक अविभाजित भारत के गुजरांवाला से थे। इसके बाद वे केन्या चले गए। बाद में ऋषि सुनक के माता-पिता केन्या से ब्रिटेन चले गए और वहां के नागरिक बन गए। भाजपा की सांसद कंगना रनौत को तो ममदानी हिंदुस्तानी से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। रनौत ने कहा है कि वह अपनी मुस्लिम पहचान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। वहीं, पत्रकार गौरव सावंत ने भी ममदानी को निशाना बनाया। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क में सिर्फ तीन प्रतिशत मुसलमान रहते हैं। जबकि 57 प्रतिशत ईसाई और सात प्रतिशत यहूदी हैं। ममदानी खुलेआम इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के उत्पीड़न की आलोचना करते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की भी मांग की थी। इसके बावजूद न्यूयॉर्कवासियों ने ममदानी का जोरदार समर्थन किया, क्योंकि वे इस्लामोफोबिया से ग्रस्त नहीं हैं।

उर्दू टाइम्स (6 नवंबर) ने अपने संपादकीय में प्रसन्नता व्यक्त की है कि जोहरान ममदानी उस पीढी के हैं, जो अपनी मुस्लिम पहचान को नहीं छिपाते और न ही वे इंसाफ से ही कोई समझौता करते हैं। अगर ममदानी जैसे लोग अमेरिका में चुनाव जीतते हैं तो साफ है कि अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति ट्रम्प के मुस्लिम विरोधी एजेंडे से प्रभावित नहीं हैं।

कौमी तंजीम (10 नवंबर) ने खुशी जाहिर की है कि पश्चिम में इस्लाम का सिर बुलंद हो रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान हैं। ट्रम्प सादिक खान के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। हालांकि, फिर भी अमेरिकी जनता का इस्लामोफोबिया से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने फिलिस्तीनियों के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले ममदानी को भारी बहुमत से विजयी बनाया है।

हिंदुस्तान (9 नवंबर) ने जोहरान ममदानी की जीत को इस्लाम के लिए आशा की नई किरण करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह जीत एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि इंसाफ और इस्लाम की है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 नवंबर) ने गजाला हाशमी की जीत पर खुशी जाहिर की है। समाचारपत्र ने कहा है कि हाशमी की जीत इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम महिलाएं वैश्विक राजनीति में तेजी से उभर रही हैं। गजाला के पिता कट्टर मुसलमान हैं और उन्हें मुसलमान होने पर गर्व है। गजाला हाशमी अपने पिता की विचारधारा से निश्चित रूप से प्रभावित हैं। उन्हें अमेरिकी नागरिक होते हुए भी मुसलमान होने पर गर्व है।

इंडोनेशिया की मस्जिद में धमाका

इंकलाब (8 नवंबर) के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार इस धमाके में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इनमें से 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल होने वाले अधिकतर छात्र हैं। धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके में एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। धमाके के समय मस्जिद का इमाम खुतबा पढ़ रहा था। पुलिस ने इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

जकार्ता के पुलिस प्रमुख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस धमाके के पीछे चरमपंथियों का हाथ हो सकता है। पुलिस ने इस संदर्भ में एक 17 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया है। यह छात्र खुद भी घायल है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस छात्र का संबंध किस चरमपंथी संगठन से है। इस घटना के बाद पहली बार पूरे देश की मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

सुरक्षा परिषद में गाजा शांति योजना पर अमेरिकी प्रस्ताव मंजूर

इंकलाब (19 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गाजा शांति प्रस्ताव को मतदान के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सेना की स्थापना का उल्लेख है। सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। जबकि रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। गौरतलब है कि पिछले महीने इजरायल और हमास ने राष्ट्रपति ट्रम्प की 20 सूत्री योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना को सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलने के बाद अब विश्व के विभिन्न देशों को गाजा में शांति हेतु स्थापित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सेना में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हो सकते हैं, जो गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्रचना के लिए एक कार्यकारी निकाय की भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) की भी मंजूरी दी गई है। आईएसएफ गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों से हथियार जमा करेगा और सशस्त्र संगठनों के खात्मे के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वाल्ट्ज ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। वाल्ट्ज ने कहा कि इस फैसले से पश्चिम एशिया में इजरायल और फिलिस्तीन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और गाजा में शांति व खुशहाली के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी ओर, हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि इससे फिलिस्तीनियों के अधिकारों व अकाक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी। यह गाजा पर अंतरराष्ट्रीय ताकतों को जबरन लादने की कोशिश है। फिलिस्तीनी जनता इस प्रस्ताव को खारिज करती है। हमास ने नवगठित आईएसएफ को दिए गए अधिकारों की

चर्चा करते हुए कहा है कि इस फैसले से आईएसएफ की तटस्थता नहीं रही है और वह एक विवादित संगठन बन गया है।

इजरायल ने कहा है कि फिलिस्तीन के प्रति उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रस्ताव से गाजा में स्थाई शांति, निवासियों के लिए राहत उपलब्ध कराना और फिलिस्तीनी जनता के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि हो गई है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने कहा है कि वह अमेरिका समेत सुरक्षा परिषद के अन्य देशों के साथ-साथ अरब और इस्लामिक जगत के सभी देशों को पूरा सहयोग देगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में दो साल चले विनाशकारी युद्ध के बाद अब शांति की स्थापना का रास्ता खुल गया है। हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे युद्धविराम को स्थाई शांति में बदलने के लिए सहयोग दें। सभी देश मिलकर पश्चिम एशिया को हथियारों और तबाही से मुक्त बनाएं।

अमेरिकी प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए इस्लामिक देशों जैसे पाकिस्तान, मिस्र, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किए और इंडोनेशिया के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि हम सब मिलकर गाजा समस्या का स्थायी हल खोजने का प्रयास करेंगे। जबकि हमास और हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस योजना से गाजा पर विदेशी नियंत्रण का रास्ता खुल गया है और गाजा प्रशासन विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में चला गया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव के लागू होने से फिलिस्तीनियों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। आईएसएफ को गाजा में नियुक्त करने का सीधा मतलब यह है कि अब गाजा प्रशासन का संचालन विदेशी शक्तियों द्वारा किया जाएगा। इजरायल की जगह अब इन विदेशी शक्तियों ने ले ली है।

वहीं, रूस और चीन ने कहा है कि गाजा फिलिस्तीनी जनता का है और हम उसे किसी भी विदेशी शक्ति को सौंपने का विरोध करते हैं। ट्रम्प ने योजना का जो प्रारूप पेश किया है उसमें फिलिस्तीनियों की भूमिका और आईएसएफ के अधिकारों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका ने गाजा समस्या का अपहरण कर लिया है। इससे खतरा और भी बढ़ गया है। जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया ने अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं, डेनमार्क ने वेस्ट बैंक को गाजा में शामिल करने पर जोर दिया है। ■

सीरिया द्वारा आईएसआईएस विरोधी गठबंधन में शामिल होने का फैसला

चट्टान (12 नवंबर) के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के बाद घोषणा की है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे को सहयोग देंगे और क्षेत्रीय एकजुटता का समर्थन करेंगे। अल-शरा 1946 के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार सीरिया ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ बनाए गए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। इससे सीरिया को आतंकवाद से मुक्त करने, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। सीरिया के सूचना मंत्री हमजा अल-मुस्तफा ने कहा है कि यह समझौता सिर्फ राजनीतिक है और इसमें किसी भी तरह की सैन्य सहायता शामिल नहीं है, लेकिन इस समझौते से हमें आतंकवाद से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। सीरिया ने पहली बार अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की भी घोषणा की है।

गौरतलब है कि आईएसआईएस एक समय इराक के 40 प्रतिशत और सीरिया के एक तिहाई हिस्से पर काबिज था। अमेरिका के नेतृत्व में गठित सैन्य गठबंधन ने 2014 में आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि, इस इस्लामिक आतंकवादी संगठन के विस्तार पर रोक लग गई है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इस समय इराक और सीरिया में आईएसआईएस के ढ़ाई हजार से अधिक सशस्त्र आतंकवादी मौजूद हैं। ये आतंकवादी अमेरिकी गठबंधन का मुकाबला कर रहे हैं।

अहमद अल-शरा से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अल-शरा में सीरिया को गृहयुद्ध से मुक्त करने की क्षमता है। सबसे रोचक बात यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा कभी अमेरिका द्वारा घोषित इस्लामिक आतंकवादी थे। अमेरिका ने अल-शरा के सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ईनाम की घोषणा कर रखी थी। अहमद अल-शरा ने व्हाइट हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस अवसर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सैन्य मुख्यालय के प्रमुख और अमेरिकी सेना के कई प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद का शासन रूस के समर्थन पर टिका हुआ था। अल-असद के सीरिया छोड़कर रूस भाग जाने के बाद देश का शासन अहमद अल-शरा के हाथ में चला गया।

इससे पहले अहमद अल-शरा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रूस से उनकी नहीं बनी। अल-शरा की सरकार देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, लेकिन बशर

अल-असद के समर्थकों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। हाल ही में शुरू हुए गृहयुद्ध में सीरिया में तीन हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआईएस द्वारा पिछले कुछ महीनों में अल-शरा की दो बार हत्या करने का प्रयास किया जा चुका है। इसके बाद सीरिया में शियाओं का नरसंहार शुरू हो गया। अल-शरा समर्थक सुन्नियों ने अलावी समुदाय से जुड़े सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। अलावी समुदाय का संबंध शिया संप्रदाय से है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 नवंबर) के अनुसार अमेरिका ने अहमद अल-शरा के अमेरिका दौरे से पूर्व सीरिया और अल-शरा पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। अहमद अल-शरा इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े रहे हैं। अमेरिका ने उन पर कई प्रतिबंध लगा रखे थे। अब अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया है। खास बात यह है कि अमेरिका द्वारा घोषित इस्लामिक आतंकवादी अहमद अल-शरा को व्हाइट हाउस में प्रवेश करते समय स्टेट गेस्ट का सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और उन्हें मुख्य द्वार के बजाय एक छोटे द्वार से व्हाइट हाउस में प्रवेश दिलाया गया। इसके अतिरिक्त व्हाइट हाउस पर सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराया गया।

43 वर्षीय अहमद अल-शरा के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने 8 दिसंबर 2024 को सीरिया के तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया था। इसके बाद सीरिया ने ईरान और रूस के साथ संबंधों में सुधार करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने तुर्किए, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब के माध्यम से अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई।

चट्टान (15 नवंबर) ने दावा किया है कि सीरिया के सरकारी सैनिक पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थक अलावी संप्रदाय से जुड़े लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। सीरिया के सुन्नी सैनिक शियाओं को लक्षित निशाना बना रहे हैं। कुछ शिया नागरिकों ने बताया कि वे लेबनान में शरण लिए हुए थे, लेकिन सीरिया की नई सरकार ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया था। इसके बाद वे सीरिया लौट आए थे, लेकिन सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। सुन्नी सैनिक उनकी बस्तियों पर हमले करके शियाओं की हत्या कर रहे हैं। सरकार ने शिया लड़ाकों के हथियार वापस ले लिए थे। अब वे पूरी तरह से निहत्थे हैं, इसलिए वे सरकारी सैनिकों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 नवंबर) के अनुसार अमेरिका ने सीरियाई राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि वह सीरिया को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसे पूरी सहायता प्रदान करेगा ताकि गृहयुद्ध का शिकार देश अपने पांव पर खड़ा हो सके।

सूडान में युद्धविराम पर सहमति

अवधनामा (8 नवंबर) के अनुसार सूडान में चले दो वर्ष के गृहयुद्ध के बाद युद्धविराम से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव पर दोनों गुटों ने सहमति प्रदान कर दी है। अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने एक बयान में कहा है कि वह युद्धविराम से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव को मानवीय आधार पर स्वीकार करेगा। आरएसएफ ने कहा है कि मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में वह सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) के साथ समझौता वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है ताकि सूडानी जनता की कठिनाईयों का अंत हो सके। सूडानी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एसएएफ युद्धविराम वार्ता में भाग लेने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आरएसएफ युद्धविराम से पहले सभी नागरिक क्षेत्रों को खाली कर दे।

सूडान में 2023 से आरएसएफ और एसएएफ के बीच युद्ध जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में अब तक 40 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और एक करोड़ 20 लाख लोग बेघर हुए हैं। समाचारपत्र के अनुसार कुछ साल पहले तक आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो और एसएएफ के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान में घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन 2019 के विद्रोह के बाद सत्ता पर कब्जे को लेकर दोनों दोस्तों में ठन गई थी।

औरंगाबाद टाइम्स (6 नवंबर) के अनुसार इससे पहले उत्तरी दारफुर की राजधानी अल-फशर में आरएसएफ ने चार हजार लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी। इसके बाद यह शहर बिल्कुल खाली हो गया और वहां पर रहने वाले एक लाख से अधिक नागरिकों ने पलायन कर लिया। आरएसएफ ने दावा किया है कि इस हत्याकांड के दोषी कमांडर अबू लुलु को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कौमी तंजीम (12 नवंबर) ने कहा है कि दुनिया के 20 देशों के विदेश मंत्रियों ने सूडान में नागरिकों के नरसंहार की निंदा करते हुए कहा है कि सामूहिक हत्याओं के दोषियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमे चलाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र ने अल-फशर में एक राहत टीम भेजने की घोषणा की है।

उर्दू टाइम्स (16 नवंबर) ने सूडान के गृहयुद्ध पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस गृहयुद्ध के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। समाचारपत्र ने कहा है कि सूडान अफ्रीका का एक मुस्लिम बहुल देश है। यह ओआईसी और अरब लीग का भी सदस्य है। हालांकि, अरब देश सूडान की सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) और हमास का सहयोगी माना जाता है। दूसरी ओर आरएसएफ के प्रमुख मोहम्मद हमदान डागालो ने संयुक्त अरब अमीरात समेत कुछ अन्य देशों से गुप्त संबंध बना रखा है। डागालो इन देशों

से सोने के बदले हथियार प्राप्त कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दारफुर इलाके में स्थित सोने की खदाने आरएसएफ के कब्जे में है।

आरएसएफ पिछले एक साल से दक्षिणी दारफुर के न्याला शहर को अपना मुख्यालय बनाकर समानांतर सरकार चला रहा है। हालांकि, उसे अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात आरएसएफ को हथियार सप्लाई करते हैं। जबकि सूडान की सरकार के तार तुर्किए और मिस्र से जुड़े हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की नजरें सूडान की उपजाऊ भूमि पर भी लगी हुई हैं। संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी सूडान में 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती कर रही है।

हिंदुस्तान (11 नवंबर) ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने सूडान को दूसरा गाजा बना दिया है। अमेरिका सूडान में मुसलमानों के दोनों गुटों को आपस में लड़वा रहा है। 2011 तक सूडान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश था। दक्षिण सूडान के अलग होने के बाद अब यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। सूडान में 96 प्रतिशत मुसलमान और तीन प्रतिशत ईसाई हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि सूडान की सरकारी सेना (एसएएफ) ने देश के 50 प्रतिशत हिस्से पर अपना नियंत्रण खो दिया है। हालांकि, एसएएफ को चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस और तुर्किए का समर्थन प्राप्त है। जबकि आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन प्राप्त है। एसएएफ के पास दो लाख सैनिक हैं। जबकि आरएसएफ के सैनिकों की संख्या एक लाख बताई जाती है।

इजरायली नागरिकों पर हमला करने वालों को मौत की सजा

उर्दू टाइम्स (13 नवंबर) के अनुसार इजरायली नेसेट (संसद) ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक में उन फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है, जिन पर इजरायली नागरिकों की हत्या का आरोप हो। इस विधेयक को धुर-दक्षिणपंथी पार्टी 'ओत्जमा येहुदित' के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने पेश किया था। इजरायल की सरकारी रेडियो 'कान 88' के अनुसार इस विधेयक के पक्ष में 39 और विपक्ष में 16 मत पड़े। संशोधित विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से किसी इजरायली नागरिक की मौत का कारण बनता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी और इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। मतदान के बाद इतामार बेन-ग्वीर ने कहा कि यहूदी शक्ति नए इतिहास का निर्माण कर रही है।

हमने जो वायदा किया था उसे पूरा कर दिखाया है।

संसद के अधिवेशन में अरब सांसद आयमान ओदेह और बेन-ग्वीर के बीच जबर्दस्त नोंक-झोंक हुई और मारपीट तक की नौबत आ गई। बाद में अन्य सांसदों ने इन दोनों नेताओं को शांत किया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक के जरिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत और भेदभाव की भावना को भड़काया जा रहा है। बेन-ग्वीर ने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर इस विधेयक को मतदान के लिए संसद में पेश नहीं किया गया तो उनकी पार्टी सरकार से अलग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कानून आतंकवाद को रोकने और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। जबकि फिलिस्तीनी संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून फिलिस्तीनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं। यह कानून फिलिस्तीनियों की हत्या के दरवाजे खोल देगा। हालांकि, इजरायली कानून में पहले से ही नरसंहार और गद्दारी जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा है, लेकिन 1962 के बाद इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1962 में अंतिम बार नाजी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइशमैन को मौत की सजा दी गई थी। फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इस समय नौ हजार से अधिक फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेलों में बंद हैं। अब इस विधेयक को दोबारा संसद की विभिन्न कमेटियों में भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानूनी रूप ले लेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायली संसद में एक अन्य विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार इजरायल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी मीडिया संस्थानों को बंद किया जा सकता है। इस विधेयक के पक्ष में 50 और विपक्ष में 14 वोट पड़े। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2024 में इजरायली राष्ट्रपति ने एक विशेष आदेश जारी करके गाजा युद्ध के दौरान इजरायल में अल जजीरा के कार्यालय को बंद कर दिया था और उसके कर्मचारियों के इजरायल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

तंजानिया में चुनाव बाद हुई हिंसा में 700 लोगों की मौत

इंकलाब (2 नवंबर) के अनुसार अफ्रीकी देश तंजानिया में 65 वर्षीय सामिया सुलुहू हसन दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई हैं। उनकी जीत की घोषणा होते ही देश में हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने सामिया हसन के आदेश पर 700 से अधिक लोगों की हत्या कर दी है। ये लोग देश के विभिन्न शहरों में सामिया हसन द्वारा चुनावों में धांधली करके राष्ट्रपति बनने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जबकि सुरक्षा बलों ने विपक्ष के इस दावे का खंडन किया है और प्रदर्शनों में मारे जाने वालों की संख्या सिर्फ 50 बताई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि सामिया हसन को 98 प्रतिशत वोट मिले हैं।

जबकि उनके विरोध में खड़े सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए थे। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर सभी विरोधी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए थे। इसके बाद उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया।

सरकार ने विदेशी मीडिया द्वारा इन प्रदर्शनों के कवरेज पर रोक लगा दी है और पत्रकारों को देश से निष्कासित कर दिया है। गौरतलब है कि 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति सामिया हसन ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था।

हिंदुस्तान (1 नवंबर) के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद सरकार ने देश में अखबारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है और इंटरनेट व मोबाइल सेवा बंद कर दी है। देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश की सीमाएं सील कर दी गई हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

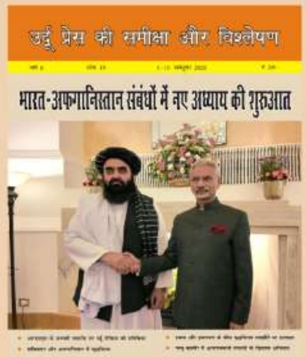

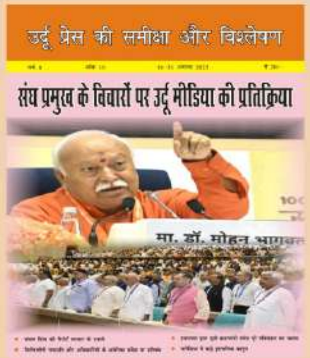

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in